4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.।
प्रतिवादी की ओर से श्री रघुवीर सिंह
द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।
लिखित वास्ते जवाब दावा हेतु दिनांक
23/5/25 को पेश हो।

Rajend
सहायक कलेक्टर बापिणी

पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/
अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक
.........को पेश हो
28-5-25
रीडर

5/25 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उप.।
प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना
पत्र आदेश 07 नियम 11 C.P.C. का पेश
किया गया। जिसका वास्ते जवाब प्रार्थना
पत्र हेतु दिनांक 6/6/25 को पेश हो।

Rajend
सहायक कलेक्टर बापिणी

6/25 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उप.।
वादी अधिवक्ता द्वारा आदेश 7 नि. 11
का जवाब पेश किया गया। पक्षकारान
पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रतिवादी
अधि. द्वारा पेश दस्तावेजों का अवलोकन
किया गया तो पाया कि वाद क्षेत्राधिकार
से बाहर का है। अधिवक्ता प्रतिवादी
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
अतः वादी का वाद क्षेत्राधिकार
से बाहर होने तथा चलने योग्य नहीं
होने के कारण खारिज किया जाता
है। पत्रावली के सल शुमार होकर नम्बर
से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Rajend
सहायक कलेक्टर बापिणी

Reeda
3/4/2/2024

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलेक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी बापिणी।

राजस्व वाद संख्याः– /2024

तारीख प्रस्तुतीः–

वादीगणः–

1. भोमाराम पुत्र श्री मांगीलाल
2. दुर्गा पुत्री श्री मांगीलाल
3. मैना पुत्री श्री मांगीलाल
   जाति मेघवाल, निवासी मतोड़ा,
   तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. मांगीलाल पुत्र श्री कोजाराम, जाति मेघवाल, निवासी मतोड़ा, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
2. श्रीमान् तहसीलदार बापिणी।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 188 (एक सौ इठयासी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मान्यवरजी,

वादी का वाद निम्न प्रकार हैंः–

1. यह हैं कि ग्राम मौजा मतोड़ा, तहसील बापिणी, जिला फलोदी की सरहद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 (एक) की संयुक्त हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा पैतृक भूमि खसरा नम्बर 518/58 (पांच सौ अठारह बट्टा अठावन) रकबा 0.3984 (शून्य दशमलव तीन नौ आठ चार) हैक्टेयर

RTI
3/-

भोमाराम

की भूमि आई हुई है। जो आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जायेगी। जिसकी चालु जमाबन्दी की नकल साथ में पेश है।

2. यह है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 (एक) पुर्व पुरूष श्री कोजाराम के वंशज है जिनका वंशवृक्ष निम्न है–

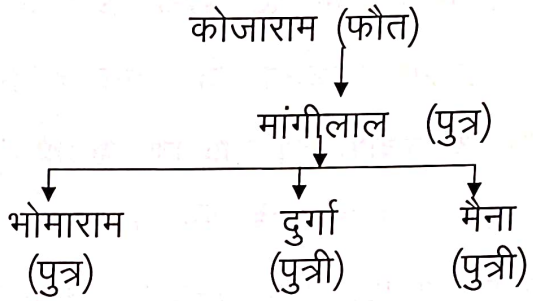

3. यह है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 (एक) की पैतृक भूमि है जो वादीगण के दादा कोजाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तत्पश्चात् कोजाराम के फौत होने पर उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 (एक) के नाम से दर्ज हुई तथा प्रतिवादी संख्या 1 (एक) के नाम दर्ज भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 (एक) प्रत्येक का 1/4 (एक बट्टा चार) हिस्सा है तथा वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

4. यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) ने वादी को उसके हक हिस्से वाली पैतृक भूमि से महरूम करने की नियत से दिनांक 05.02.2024 (पांच फरवरी दो हजार चौबीस) को प्रतिवादी संख्या 1 (दो) मौके पर अजनबी क्रेताओं को भूमि बेचान हेतु दिखानी शुरू की तब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 (एक) को कहा यह भूमि पैतृक भूमि है जिसमें हमारा भी जन्म से हक अधिकार इसलिए आप यह भूमि बेचान नहीं कर

सकते तब प्रतिवादी संख्या 1 (एक) ने वादीगण को कहा यह भूमि मेरे नाम से दर्ज है इसलिए मैं अपनी मनमर्जी अनुसार भूमि बेचान करूंगा साथ ही वादीगण को मौके बेदखली की एलानिया धमकी। इससे पूर्व भी प्रतिवादी संख्या 1 (एक) पैतृक भूमि का बेचान कर चुका है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मजबूरन वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 (एक) के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश करना पड़ रहा है कि वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 (एक) किसी अजनबी क्रेता को बेचान कर वादीगण को न तो बेदखल करें न ही उसके कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी करें।

5. यह हैं कि वाद प्रस्तुत करने कारण सर्व प्रथम 05.02.2024 (पांच फरवरी दो हजार चौबीस) को प्रतिवादी संख्या 1 (दो) मौके पर अजनबी क्रेताओं को भूमि बेचान हेतु दिखानी शुरू की तब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 (एक) को कहा यह भूमि पैतृक भूमि है जिसमें हमारा भी जन्म से हक अधिकार इसलिए आप यह भूमि बेचान नहीं कर सकते तब प्रतिवादी संख्या 1 (एक) ने वादीगण को कहा यह भूमि मेरे नाम से दर्ज है इसलिए मैं अपनी मनमर्जी अनुसार भूमि बेचान करूंगा साथ ही वादीगण को मौके बेदखली की एलानिया धमकी तब पैदा हुआ, वाद अन्दर मयाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

6. यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 (दो) राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार बापिणी को वाद का पक्षकार बनाया गया हैं

P.T.I

8. यह हैं कि वाद बाबत् खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का निर्धारित न्यायालय शुल्क 2 (दो) रूपये पर अलावा तलबाना पेश हैं।
9. यह हैं कि इस्तदुआ वादीनी निम्न प्रकार हैं:—
   1. यह हैं कि वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 32 (बत्तीस) रकबा 27 (सताईस) बीघा 1 (एक) बिस्वा, खसरा नम्बर 46 (छियालीस) रकबा 15 (पन्द्रह) बीघा 1 (एक) बिस्वा, खसरा नम्बर 94 (चौरानवे) रकबा 19 (उन्नीस) बीघा 8 (आठ) बिस्वा, खसरा नम्बर 100 (एक सौ) रकबा 36 (छत्तीस) बीघा, खसरा नम्बर 108 (एक सौ आठ) रकबा 84 (चौरासी) बीघा, खसरा नम्बर 37 (सताईस) रकबा 6 (छः) बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 38 (अड़तीस) रकबा 176 (एक सौ छियतर) बीघा 9 (नौ) बिस्वा कुल खसरा 7 (सात) कुल रकबा 358 (तीन सौ अठावन) बीघा 05 (पांच) बिस्वा, ग्राम मौजा बेरड़ों का बास, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के सम्बन्ध में पूर्व में दर्ज प्रारम्भ से ही शून्य नामान्तरकरण संख्या 112 व 151 को वादीनी के हक अधिकारों के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी मानते हुए सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में वादीनी को 1/3 हिस्से के रूप में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावें बाद घोषणा तहसीलदार ओसियां से पालना सुनिश्चित करवाई जावें।
   2. यह हैं कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावें कि वादीनी के हक अधिकार व कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें तथा बेचान हस्तान्तरण नहीं करें, किसी भी बैंक से वादग्रस्त भूमि पर ऋण नहीं उठाये तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।
   3. यह हैं कि अन्य अनुतोष जो न्यायालय हाजा की नजर में वादीनी प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी हो, वो दिलवाया जावें।
   4. यह हैं कि वाद खर्चा वादीनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

जरिये अधिवक्ता

वादी

तस्दीकः—

मैं रूपेन्द्र सुथार पुत्र श्री मूलाराम, आयु वर्ष, जाति सुथार, निवासी शिवनगर, पटवार हल्का घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर वाला हल्फ से तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त वाद पत्र में वर्णित तमाम तथ्य मेरी जानकारी से सही एवं सत्य है। ईश्वर मेरी सत्य बोलने में मदद करें।

तस्दीककर्ता

मोमाराम